# :: कार्यालय कलेक्टर जिला–खण्डवा ::

क्रमांक / 3178 / वाचक कले0 / 2013. खण्डवा, दिनांक 1 .03.2013

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

958
12-3-13

विविध 1544-PBR/13

विषयः– कलेक्टर न्यायालय में संस्थित प्रकरण क्रमांक 2–अ–59 / 2011–12 एवं 3–अ–59 / 2011–12 में पूर्व पारित आदेशों के पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत।

–:0:–

खण्डवा जिले का विकास के अंतर्गत परियोजना / ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किये गये एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक दिनांक 19.02.2013 में समिति व्दारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स ईरा इन्फ्रा इंजनियरिंग लिमिटेड, नई दिल्ली व्दारा ग्राम त्रिचगोहन, तहसील खण्डवा में 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु मांग की गई शासकीय भूमि से संबंधित संस्थित प्रकरण क्रमांक 2–अ–59 / 2011–12 एवं 3–अ–59 / 2011–12 में पूर्व पारित आदेशों के पुर्नविलोकन हेतु म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 में विद्यमान प्रावधानो के अंतर्गत प्रस्ताव वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित किए जाए।

2– अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर न्यायालय, खण्डवा में संस्थित राजस्व प्रकरण क्रमांक 2–अ–59 / 2011–12 एवं प्रकरण क्रमांक 3–अ–59 / 2011–12 में पूर्व पीठासीन अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2011 को पुर्नविलोकन में लिये जाने की अनुमति म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में उल्लेखित प्रावधान अनुरुप प्रदान करने का कष्ट करें। दोनों मूल राजस्व प्रकरण पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया अनुमतिं उपरांत मूल प्रकरण वापिस कलेक्टर न्यायालय, खण्डवा को वापिस लौटाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नीरज दुबे)
कलेक्टर
जिला खण्डवा
दूरभाष क्रमांक 0733–2224153

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक विविध/1544/पीबीआर/2013** **जिला खण्डवा**

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3-7-18 | आवेदक शासन की ओर से श्री विवेक जैन शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें रिव्यु की अनुमति पर सुना गया । यह विविध प्रकरण कलेक्टर जिला खण्डवा के प्रकरण क्रमांक 2/अ-59/2011-12 एवं 3/अ-59/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2011 को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति हेतु प्राप्त हुआ है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरांत कलेक्टर जिला खण्डवा के प्रकरण क्रमांक 2/अ-59/2011-12 एवं 3/अ-59/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2011 को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति दी जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |